मनोहरसिंह VS राज. सरकार

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	2/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को तामील हो चुकी है लेकिन कोई उपस्थित नहीं है। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रकरण का निस्तारण उचित समझते हैं अतः पत्रावली दिनांक 24.2.22 को वास्ते आदेशार्थ पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
	24.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया, जाकर आदेश [illegible] से लिखाया गया। पत्रावली दिनांक 14.3.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
	14/3/22	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अध्यक्ष ...ीय लोक अदालत उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान सदस्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 76/2021

उनवान

हर सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
गवान दास स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी
ामोतार स्वामी पुत्र मांगीलाल स्वामी
श्रीराम स्वामी पुत्र स्व0 मांगीलाल स्वामी
जाति स्वामी निवासी ढाणी इमरतीवाली तन बाडीजोडी तहसील शाहपुरा

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 24/2/22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 5 रकबा 0.081है0, वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका ह्सीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2021/15 दिनांक 16.6.21 की पालना में दिनांक 17.6. 021 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त प्रार्थी की भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 प्रार्थी की मि की सीमाओं पर जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण करने प्राप्ति की भूमि की सीमओं को काट करके पनी आराजी में मिलाने की लगातार धमकी दे रहे है जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र सीमा निश्चयकरण त्थरगढी) का पेश करनो लाजमी हुआ । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी कील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत ाराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.6.2021 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार ारा पत्थगढी के अभाव में निर्माण कार्य में अडचन पैदा करते है ,इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर त्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण ं पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 17.6.2021 को हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान किया गया ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल ाटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक ब्रातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथी अपनी प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 0.081है0, वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2021 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/2/2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर